न्यायालय - जिला न्यायाधीश, धौलपुर

मुन्नी बनाम जगन्नाथ

मूल वाद पत्र सं. 32/14

दिनांक 04/02/2026

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण उपस्थित।

बहस प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.12.2024 पर सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप कथन किया कि इस प्रकरण में जिस दस्तावेज यादनामा को स्टाम्पित कराया गया है, उसकी मूल प्रति रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जाए।

इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने कथन किया कि दस्तावेज यादनामा स्टाम्पित हो चुका है लेकिन ऐसा कोई विधि में प्रावधान नहीं है कि दस्तावेज को स्टाम्पित कराने के लिए भेजा जाए व प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। अपने तर्कों की समर्थन में अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए -

1. **2017(1) DNJ (Rajasthan) 438 Bali Devi (Smt.) & Ors. Vs. Chhagan Lal Maheshwari**

उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

जिस दस्तावेज यादनामा को स्टाम्पित किया जा चुका है, उसके मूल दस्तावेज यादनामा को रजिस्टर्ड कराने के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा कोई प्रावधान के बारे में न्यायालय को नहीं बताया गया है, अतः न्यायालय के द्वारा उक्त दस्तावेज यादनामा को रजिस्टर्ड कराने के लिए भेजने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता और यह प्रार्थना उनकी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

चूंकि उक्त दस्तावेज यादनामा स्टाम्पित हो चुका है, ऐसी सूरत में उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श लगाने की अनुमति के संबंध में जो आपत्ति आयी है, अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत 2017(1) DNJ (Rajasthan) 438 Bali Devi (Smt.) & Ors. Vs. Chhagan Lal Maheshwari पेश किया है उसमें सेल डीड को रजिस्टर्ड न होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना माना है लेकिन हस्तगत प्रकरण सेल डीड के संबंध में नहीं है, बल्कि यादनामा पर प्रदर्श डालने के संबंध में है इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होना नहीं पाया जाता, लेकिन चूंकि उक्त यादनामा स्टाम्पित हो चुका है, ऐसी स्थिति में उस पर प्रदर्श डालने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक ..02.2026 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)